न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर ।

पीठासीन अधिकारी–सतेन्द्र कुमार, उच्चतर न्यायिक सेवा।

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 908 सन 2026

CNR. No.UPSP010026652026

पंकज पुत्र महेन्द्र, निवासी ग्राम मांडला, थाना बेहट, जिला सहारनपुर।

.....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उ0प्र0 राज्य। **.....विपक्षी।**

मु.अ.सं. 659/2025
धारा 316(5),336(3),338,
340(2),61(2) बी0एन0एस0
थाना कोतवाली देहात, जिला सहारनपुर।

निस्तारण जमानत प्रार्थना–पत्र

13.03.2026

प्रार्थी/अभियुक्त **पंकज** की ओर से उपरोक्त वर्णित अभियोग में जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त दिनांक 19.01.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में हैं।

जमानत प्रार्थनापत्र के साथ रामेश्वर पुत्र नौरतू का शपथपत्र दाखिल किया गया हैं, जिसके अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम नियमित जमानत प्रार्थनापत्र है। प्रस्तुत प्रकरण के सन्दर्भ में वर्तमान में अभियुक्त का अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र किसी न्यायालय में लम्बित नहीं है।

जमानत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्कों को सुना एवं केस डायरी व अन्य प्रपत्रों का अवलोकन किया।

अभियोजन कथानक संक्षेप मे इस प्रकार है कि वादीगण रामबीर व अन्य द्वारा थाना हाजा पर इस आशय की तहरीर प्रस्तुत की गयी है कि वादीगण का खाता पुंरवारका स्थित पंजाब नैशनल बैंक में है, जिनमें से सभी बैंक कर्मचारीगण द्वारा पैसे निकाल लिए। वादीगण ने बैंक में जाकर जब पैसे निकलवाने चाहे तो पता चला कि पूरे गांव के खातेधारको के पैसे इन लोगो ने निकाल लिए तथा बैंक मैनेजरसे बात की उसने उन्हें बैंक से निकलने का आदेश दिया, और कहा कि वह उनके विरूद्ध ही रिपोर्ट दर्ज कर देगा। बैंक में खाता खोलने के लिए प्राईवेट कर्मचारी पंकज कुमार बैंक में रखा है, जिसने काफी व्यक्तियों से मोटे पैसे लेकर बैंक में जमा नहीं किया व कुछ रूपया भी निकाल रखा है। अतः कानूनी कार्यवाही किए जाने की याचना की गयी।

वादीगण की उक्त तहरीर पर थाना कोतवाली देहात पर विपक्षीगण के विरूद्ध यह मामला धारा–316(5),61(2) बी0एन0एस0 के अन्तर्गत पंजीकृत कर मामले की विवेचना प्रारम्भ की गयी।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्को को सुना गया।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से मुख्य रूप से यह बहस की गई है कि वह निर्दोष हैं और उसे मुकदमा उपरोक्त में झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। प्रार्थी का तथाकथित घटना से कोई वास्ता किसी प्रकार का नहीं है। प्रार्थी न तो बैंक में नौकरी करता है। प्रार्थी वर्ष 2019 से पंजाब नैशनल बैंक के माध्यम से फीनो कम्पनी से जुडा हुआ है, जिसके आधार पर आधार कार्ड के जरिए बैंक खाता धारक को 10 हजार रूपये तक उसके खाते में जमा धनराशि निकासी व जमा करने का कार्य करता है। इस कम्पनी में प्रार्थी ने वर्ष 2021 तक काम किया है तथा कभी भी फीनो कम्पनी द्वारा किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं पायी गयी है। बैंक द्वारा फीनो कम्पनी का टाई अप समाप्त होने पर फिर बैंक द्वारा इन्टीग्रा कम्पनी द्वारा बैंक का टाइअप हुआ, और प्रार्थी वर्ष 2021 से अब तक अपने गांव में ही अपने घर पर बायोमैट्रिक मशीन व कम्पयूटर के द्वारा कार्य करता है। सभी लोगो के लेन–देन का हिसाब–किताब बैंक खाते में सही है। इस कम्पनी द्वारा खाताधारको को दस हजार रूपये तक ही आधार कार्ड के माध्यम से निकासी व 25 हजार रूपये तक जमा करने का प्रावधान है, और प्रार्थी के द्वारा समस्त लेन–देन में कोई लापरवाही या अमानत में खयानत

किसी प्रकार की नही की गयी। उक्त बैंक के कैशियर सोहनलाल सैनी नियुक्त रहे हैं, जिनकी माह फरवरी 2025 में मृत्यु हो गयी है। उक्त सोहनलाल सैनी के द्वारा ही बैंक में कुछ लोगो को ब्याज पर रूपये देने का कार्य किया गया था, और बाद में उनकी मृत्यु के बाद उनके द्वारा जमा की गयी रसीदो हो देखते हुए, ही वादी आदि द्वारा यह झूठा मुकदमा प्रार्थी के विरूद्ध दर्ज कराया गया है। प्रार्थी का रोल नही है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नही है। सभी धाराए सात वर्ष तक के कारावास से दण्डनीय तथा मजिस्ट्रैट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। प्रार्थी दिनांक 19.01.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। अतः उसे जमानत पर रिहा किया जाए।

राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत का विरोध करते हुए, जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

थाने से प्राप्त केस डायरी का अवलोकन किया। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर आपराधिक षडयंत्र करके खाताधारकों से प्राप्त चैक में कूटरचना करके उक्त चैको की धनराशि अपने खाते में स्थानान्तरित कराने, वादीगण/बैंक खाताधारकों से खाते में धनराशि जमा कराने के नाम पर उनसे धनराशि प्राप्त कर उसे सम्बन्धित खाताधारकों के खाते में जमा न करने एवं खाताधारकों से धन निकासी फोर्म पर हस्ताक्षर कराके सम्बन्धित खातों से धनराशि निकालकर उक्त धनराशि का गबन किए जाने के सन्दर्भ में वादीगण द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर इस मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा 316(5),61(2)(बी) बी.एन.एस. के अर्न्तगत अभियुक्तगण के विरूद्ध दर्ज की गयी है। केस डायरी अंकित खाताधारक **शिवकुमार** द्वारा अपने बयान में पीएनबी पुंवारका से सम्बन्धित बैंक खाते का मु0 1,20,000/–रूपये का चैक स्वंय के खाते से अपने दूसरे खाते में धनराशि स्थानान्तरित कराने के लिए बैंक मित्र पंकज कुमार को देने तथा उक्त बैंक मित्र पंकज कुमार द्वारा चैक की धनराशि उसके खाते में स्थानान्तरित न कराके स्वंय ही उक्त धनराशि लेकर फरार होने का कथन किया गया है। केस डायरी पर उपलब्ध **नरेश पाल** के खाता सं0–04782121014314 से दिनांक 08.12.2025 को अंकन एक लाख पचास हजार रूपये आवेदक/अभियुक्त पंकज कुमार के खाते में स्थानान्तरित होना दर्शित है। केस डायरी पर अंकित **नरेश कुमार** द्वारा अपने बयान में आवेदक/अभियुक्त पंकज कुमार को मु0 1,50,000/–रूपये का चैक स्वंय के खाते से अपने दूसरे खाते में धनराशि स्थानान्तरित कराने के सम्बन्ध में दिए गए के चैक की धनराशि बैंक मित्र पंकज कुमार द्वारा अपने खाते में स्थानान्तरित कराके स्वंय ही उक्त धनराशि लेकर फरार होने का कथन किया गया है। केस डायरी के अनुसार विवेचक द्वारा दौरान विवेचना संकलित प्रलेखीय साक्ष्य एवं साक्षीगण के बयान के आधार पर मामले में धारा 336(3),338,340(2) बी0एन0एस0 की वृद्धि किया जाना दर्शित है। अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा तर्क किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त, जो इन्टग्रा कम्पनी के माध्यम से पंजाब नैशनल बैंक शाखा पुंवारका में संविदा के आधार पर बैंक मित्र के रूप में कार्यरत था, के द्वारा जनता के भाले–भाले लोगो से लेन–देन के बहाने बैंक बाउचर/चैक पर हस्ताक्षर कराके उनके खातो से धनराशि की निकासी कर उक्त धनराशि गबन कर जनता के उक्त भोले–भाले लोगो को आर्थिक क्षति कारित करने जैसा गम्भीर अपराध कारित किया गया है। मामले की विवेचना प्रचलित है। आवेदक/अभियुक्त को इस मामले में जमानत प्रदान किए जाने पर उसके फरार होने तथा उसके द्वारा साक्ष्य प्रभावित किए जाने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

अतः मामले के तथ्यों, परिस्थितियों एवं आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए, प्रस्तुत मामले में आवेदक/अभियुक्त की जमानत हेतु आधार पर्याप्त नहीं है। तदनुसार आवेदक की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाने योग्य है।

आदेश

आवदेक/अभियुक्त **पंकज** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांकः–13.03.2026

(सतेन्द्र कुमार)
सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर।
J.O. CODE- UP 1891